उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 70/2018/1120/छप्पन-18-05/1996

लखनऊ: दिनांक : 05 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1660/छप्पन-17-05/1996, लखनऊ, दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा श्री शोभित दास को नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रतिमाह अनुमन्य पारिश्रमिक रेंज रूपए 1.50 लाख से रूपए 2.5 लाख में अधिकतम पारिश्रमिक रुपए 2,50,000/-(रुपए दो लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 07 जुलाई, 2017 से अग्रेतर 01 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात दिनांक 06 जुलाई, 2018 तक संविदा पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी | निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी उपयोगिता तथा विशिष्ट कार्य अपेक्षाओं को देखते हुए श्री शोभित दास की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 2,50,000/- में शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2011-17/2014, दिनांक 09 सितंबर, 2014 के अनुसार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि करते हुए रुपए 2,62,500/- के नियत मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 07 जुलाई, 2018 से अग्रेत्तर 01 वर्ष के लिए बढ़ाये जाने पर यथोचित निर्णय लिया जाए|

2- अतः सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मुख्य अभियन्ता के पद पर श्री शोभित दास की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 2,50,000/- एवं शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2011-17/2014, दिनांक 09 सितंबर, 2014 के अनुसार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि करते हुए रुपए 2,62,500/- के नियत मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 07 जुलाई, 2018 से अग्रेत्तर 01 वर्ष (अर्थात दिनांक 7 जुलाई 2018 से 06 जुलाई 2019 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है |

3- श्री शोभित दास की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी |

4- श्री शोभित दास से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सूर्य पाल गंगवार

विशेष सचिव।

श्री शोभित दास

मुख्य अभियन्ता, (संविदा)

नागरिक उड्डयन निदेशालय,

उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट,लखनऊ|

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 70/2018/1120(1)/छप्पन-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री शोभित दास से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 |
7- कार्मिक अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी

अनु सचिव|

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।